ए.एफ.आर.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एफ ए नंबर 494/2018

1. रितेश चौधरी आ० स्वर्गीय श्री शिव कुमार चौधरी,
उम्र-44 वर्ष, निवासी गोवर्धन बारा, चांटापारा, बिलासपुर (छ०ग०)
वर्तमान निवास- 2, साउथ एवेन्यू, न्यू चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ०ग०)
(प्रतिवादी क्रमांक 1)
2. संजय कुमार चौधरी आ० स्वर्गीय श्री शिव कुमार चौधरी,
उम्र-53 वर्ष, निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर
तहसील और जिला-रायपुर (छ०ग०)
(प्रतिवादी क्रमांक 2)
3. श्रीमती दीपाली शर्मा पति-स्वर्गीय श्री आदित्य चौधरी,
उम्र-47 वर्ष (गलत रुप से दीपावली उल्लेखित)।
(प्रतिवादी क्रमांक 3)
4. कुमारी वालिका चौधरी पिता-स्वर्गीय श्री आदित्य चौधरी, उम्र-17 वर्ष
(प्रतिवादी क्रमांक 4)
5. सारांश चौधरी पिता-स्वर्गीय श्री आदित्य चौधरी, उम्र-14 वर्ष,
(प्रतिवादी क्रमांक 5)

प्रतिवादी क्रमांक 4 और 5 अवयस्क हैं,
जिनका प्रतिनिधित्व उनकी माँ श्रीमती दीपाली शर्मा,
प्राकृतिक संरक्षक द्वारा किया जा रहा है।
प्रतिवादी संख्या 3 से 5, निवासी 300-सी, लावकुश विहार के पास,
चौबे कॉलोनी, रायपुर, तहसील और जिला-रायपुर (छ०ग०)

6. श्रीमती अल्का कौशल पति स्वर्गीय श्री शशि भूषण कौशल,
उम्र- 51 वर्ष, निवासी प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर,
तहसील और जिला-रायपुर(छ०ग०)
(प्रतिवादी क्रमांक 6)
7. श्रीमती प्रीति पलेरिया पति-श्री विनय पलेरिया, उम्र-46 वर्ष,
निवासी कोशबारी, कोरबा, जिला-कोरबा (छ०ग०) (प्रतिवादी क्रमांक 7)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---- अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. अक्षय कुमार चौधरी पिता स्वर्गीय श्री राम कुमार चौधरी,
   निवासी-2, साउथ एवेन्यू, न्यू चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ०ग०)

(वादी क्रमांक 1)

2. अविनाश चौधरी पिता स्वर्गीय श्री राम कुमार चौधरी,
   निवासी-2, साउथ एवेन्यू, न्यू चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ०ग०)

(वादी क्रमांक 2)

3. श्रीमती अमिता नामदेव पति अशोक नामदेव,
   निवासी-आर-2, दुर्गा नगर, विदिशा, मध्य प्रदेश।

(वादी क्रमांक 3)

4. श्रीमती अनीता पति श्री योगेश राणा,
   निवासी-बी-54, आवास विकास, दिल्ली रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

(वादी क्रमांक 4)

5. अर्चना महापात्रा पति ज्ञानरंजन महापात्रा,
   निवासी-169, भौमिकल, भुवनेश्वर, ओडिशा।

(वादी क्रमांक 5)

-- उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण के लिये - श्री अमृतो दास अधिवक्ता।

उत्तरवादीण लिये - श्री बी०पी० शर्मा, सहायक श्री निखिल पारख,
श्री समीक्षा गुप्ता और सुश्री अनुजा शर्मा,
अधिवक्तागण ।

<u>**माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी और**</u>

<u>**माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत**</u>

<u>**निर्णय बोर्ड से पारित**</u>

<u>न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी द्वारा</u>

<u>28–04–2023</u>

1. यह अपील विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सिविल वाद क्रमांक 6ए/2012 में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 28/05/2018 जिसमें वादी डॉ. रामकुमार चौधरी (मृत और विधिक उत्तराधिकारीगण द्वारा प्रतिनिधित्व) द्वारा शिव कुमार चौधरी (मृत और विधिक उत्तराधिकारीगण द्वारा प्रतिनिधित्व) के विरुद्ध कब्जा और क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत वाद को स्वीकृत किया गया था, के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा पेश की गई है । वाद के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी शिव कुमार चौधरी की मृत्यु हो गई और निर्णय और डिक्री के बाद, शिव कुमार चौधरी के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि डॉ. रामकुमार चौधरी ने अपने भाई शिव कुमार चौधरी के विरुद्ध एक वाद प्रस्तुत किया कि साउथ एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर में स्थित एक घर के वे स्वामी हैं, जिसे उन्होंने रायपुर सहकारी गृह निर्माण समिति से अपनी स्वअर्जित आय से खरीदा था। यह अभिवचन किया गया कि प्लॉट प्रारंभ में 01/04/1964 को आबंटित किया गया था तत्पश्चात् निर्माण करने की अनुमति 08/04/1964 को प्राप्त की गई थी। वादी ने आगे अभिकथन किया है कि इसके बाद अपनी स्वअर्जित आय से निर्माण करवाया और तत्पश्चात् नगरपालिका को सम्पूर्ण कर का भुगतान उन्हीं के द्वारा किया जा रहा था तथा संबंधित रसीदें भी उनके पक्ष में जारी की गई। वादी ने आगे अभिकथन किया है कि शिव कुमार चौधरी (प्रतिवादी) उनके छोटे भाई थे और चूँकि उनके पास रायपुर में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और वे सड़क पर भटक रहे थे, इसलिए उन्हें वाद मकान में रहने की अनुमति दी गई थी। आगे यह अभिवचन है कि वाद मकान का कब्ज़ा लेने के बाद, किसी न किसी बहाने से, इस

आधार पर कि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्होंने कब्ज़ा जारी रखा, जिसकी अनुमति इसलिए दी गई क्योंकि प्रतिवादी उसका छोटा भाई था।

3. वादी का आगे अभिकथन है कि रामकुमार चौधरी, वादी की मृत्यु के बाद, डॉ. रामकुमार चौधरी द्वारा निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर, वाद संपत्ति अक्षय कुमार चौधरी और अविनाश चौधरी के पक्ष में हस्तांतरित हो गई। इसलिए अक्षय कुमार चौधरी और अविनाश चौधरी उक्त वाद मकान के आत्यंतिक स्वामी बन गए। वादी ने आगे अभिवचन किया है कि वर्ष 2002 में जब प्रतिवादी को परिसर खाली करने के लिए कहा गया, तो यह प्रति–मांग की गई कि यह एक पैतृक संपत्ति है, जिसके परिणामस्वरूप नोटिसों का आदान–प्रदान हुआ और अंततः वादी द्वारा अपने भाई के विरुद्ध बेदखली और क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रतिवादी ने वादपत्र के कथनों को अस्वीकार किया और इसके बजाय यह कहा गया कि पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार प्रतिवादी वाद परिसर के कब्जे में था। आगे यह कहा गया कि शिव कुमार चौधरी और डॉ. रामकुमार चौधरी के पिता डॉ. धनीराम चौधरी ने अपनी स्वअर्जित आय से वाद संपत्ति खरीदा था, हालाँकि सबसे बड़े पुत्र होने के कारण डॉ. रामकुमार चौधरी के नाम पर आबंटन कराया गया था। प्रतिवादी ने आगे अभिकथन किया कि जब खरीदी की गई थी तब वादी डॉ. रामकुमार चौधरी की कोई आय नहीं थी और पिता ने प्यार और स्नेह से डॉ. रामकुमार चौधरी के नाम पर संपत्ति खरीदा था। यह अभिकथन किया गया कि उस समय वादी के पास आय का कोई स्रोत नहीं था। आगे यह अभिकथन किया गया कि यहां तक कि वादी अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अपने भाई पर पूरी तरह से निर्भर था और डॉ. धनीराम चौधरी, पिता ने उक्त प्लॉट पर निर्माण करवाया था।

5. आगे यह अभिकथन किया गया कि घर के निर्माण के दौरान, रामकुमार चौधरी ने नगर निगम में नियुक्ति प्राप्त किया और नगर निगम द्वारा आबंटित घर में आधिपत्य में थे ।

आगे यह अभिवचन किया गया है कि रामकुमार चौधरी वर्ष 1992 में सेवानिवृत्त हुए और उससे पहले प्रतिवादी अपने भाई देवेंद्र कुमार चौधरी के साथ वाद मकान में आत्यंतिक कब्जे में थे। प्रतिवादी का आगे अभिकथन है कि मकान के निर्माण के लिए पूरी रकम डॉ. धनीराम चौधरी ने दी थी और शिव कुमार चौधरी हिंदू अविभाजित परिवार के सह-स्वामी के रूप में वाद मकान के कब्जे में था। प्रतिवादी ने आगे अभिकथन किया है कि पूरी रकम संयुक्त स्वामित्व द्वारा दी गई थी।

6. प्रतिवादी ने आगे अभिवचन किया है कि ऐसा होने के कारण वादी रामकुमार चौधरी आत्यंतिक स्वामी नहीं थे, वे उक्त संपत्ति का आत्यंतिक रूप से अपने पुत्रों के पक्ष वसीयती निपटान नहीं कर सकते थे। एक प्रतिदावे में, प्रतिवादी ने आगे कहा कि जब प्लॉट आबंटित किया गया था, तो 1000/-रुपये का चेक दिनांकित 26/09/1961 एवं 23/09/1961 के चेक द्वारा 1250/- रुपये की अतिरिक्त राशि पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से सहकारी समिति के पक्ष में डॉ. धनीराम चौधरी द्वारा भुगतान की गई थी, जो यह साबित करती है कि प्लॉट खरीदने के लिए रकम का भुगतान डॉ. धनीराम चौधरी के द्वारा किया गया था, न कि डॉ. रामकुमार चौधरी के द्वारा। अतिरिक्त अभिवचन है कि दिनांक 18/10/2000 के वसीयतनामा के आधार हालांकि संपत्ति अक्षय कुमार चौधरी और अविनाश चौधरी को दी गई थी, लेकिन वे उक्त संपत्ति के स्वामी नहीं हैं, क्योंकि वसीयतनामा शून्य है।

7. अभिवचनों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने 09 वादप्रश्न विरचित किए और बेदखली की डिक्री पारित करते हुए वादी के पक्ष में वाद को स्वीकृत किया। वादी ने तीन गवाहों, श्रीमती विमल चौधरी को पीडब्ल्यू-01 के रूप में, जो डॉ. रामकुमार चौधरी की विधवा हैं, रजत रॉय को पीडब्ल्यू-02 के रूप में वसीयत के लिए एक अनुप्रमाणन साक्षी के रूप में और अक्षय कुमार चौधरी को पीडब्ल्यू-03 के रूप में पेश किया। दूसरी ओर, प्रतिवादी शिव कुमार चौधरी को डीडब्ल्यू-01 के रूप में परीक्षित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया, पूरा प्रतिपरीक्षण समाप्त होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई और अन्य गवाह डीडब्ल्यू-02 संजय कुमार चौधरी, शिव कुमार चौधरी के पुत्र, और डीडब्ल्यू-03 देवेंद्र कुमार चौधरी, शिव कुमार चौधरी के भाई, मूल प्रतिवादी थे। समझौते के प्रयास को साबित करने के लिए साक्षी डीडब्ल्यू-04 गोविंद लाल वोरा और डीडब्ल्यू-05 सुशीला नामदेव को परीक्षित किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने तथ्यों की संपूर्णता में परीक्षण के बाद, वाद को स्वीकृत किया । इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि सहकारी समिति से प्लॉट का आबंटन प्रारंभ में वर्ष 1961 में हुआ था और पैसा पिता डॉ. धनीराम चौधरी द्वारा दिया गया था, जो प्रदर्श डी/01 और प्रदर्श डी./02 से स्पष्ट है, जो यह दर्शित करता है कि 1000/-रुपये और 1250/-रुपये की राशि डॉ. धनीराम चौधरी द्वारा उनके पुत्र डॉ. रामकुमार चौधरी (वादी) के नाम पर दी गई थी। उनका तर्क है कि प्लॉट का औपचारिक आबंटन वर्ष 1964 में जारी किया गया था और उसके बाद निर्माण करने की अनुमति अप्रैल 1964 में थी और अंत में 25/05/1995 को, चूंकि प्लॉट का आबंटन रामकुमार चौधरी के नाम पर था, इसलिए बिक्री विलेख उनके पक्ष में निष्पादित किया गया था। उनका तर्क है कि दस्तावेज़, जो कि आर्टिकल डायरी है, यह दर्शित करता है कि मकान के निर्माण के लिए भी पूरा खर्च वहन किया गया था। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि पक्षकारों का आचरण यह दर्शित करता है कि निर्माण के बाद, डॉ. रामकुमार चौधरी कभी भी उक्त मकान में निवास नहीं किये, क्योंकि वे वर्ष 1992 में सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति तक एक अलग स्थान पर नगर निगम द्वारा आबंटित एक क्वार्टर में रह रहे थे।

9. प्रदर्श डी/03, प्रदर्श डी/05 और प्रदर्श डी/11 का हवाला देते हुए, अधिवक्ता का तर्क है कि नगर निगम द्वारा कर की मांग के लिये वे मांग पत्र डॉ. धनीराम चौधरी के नाम पर जारी किए गए थे, यह दिखाने के लिए कि यह आम जानकारी में था कि घर का स्वामित्व डॉ. धनीराम चौधरी का था। आगे कहा गया है कि वादी द्वारा इसके खिलाफ

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिखाया गया है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस मुद्दे को छोड़ दिया गया है। यह कहा गया है कि प्रदर्श डी/01 और प्रदर्श डी/02 का प्रभाव दिखाता है कि डॉ. धनीराम चौधरी द्वारा सहकारी समिति को आबंटन के लिए चेक दिया गया था, जो सितंबर, 1961 का था। आगे यह प्रदर्शित करने के लिए कि घर के निर्माण के लिए समय–समय पर राशि दी गई थी और प्रतिवादी शिव कुमार चौधरी ने भी घर के ऐसे निर्माण में योगदान दिया था, डायरी जिसे आर्टिकल–ए के रुप में चिन्हित किया गया है, में की गई कुछ प्रविष्टियों का संदर्भ दिया गया है । वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य इसलिए यह दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं कि प्रश्नगत संपत्ति वादी के पिता द्वारा खरीदी गई थी, हालांकि यह वादी डॉ. रामकुमार चौधरी के नाम पर थी। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि वाद वर्ष 2005 में प्रस्तुत किया गया था और बेनामी संव्यवहार के इस तथ्य के बचाव को पहले ही ले लिया गया था, इसलिए उस बचाव को सुरक्षित रखा जायेगा और यह कहने के लिये कि बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 4(3) दिनांक 01/11/2016 को प्रभावशील हुई है, जी. महालिंगप्पा बनाम जी.एम. सविता (2005) 6 एससीसी 441 के मामले पर भरोसा किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसके विपरीत प्रतिवादियों के लिए उपस्थित श्री निखिल पारख द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा ने तर्क किया है कि प्रकरण स्वत्व के चारों ओर घूमता है, इसलिए बेदखली का दावा पेश किया गया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि यदि पक्षकारों के अभिवचनों को साक्ष्य के साथ देखा जाए, तो यह दर्शित होता है कि वाद संपत्ति वादी द्वारा खरीदी गई थी और विक्रय विलेख वादी स्वर्गीय रामकुमार चौधरी के नाम पर है इसलिए यह कहा गया है कि स्वामित्व के आधार पर बेदखली की मांग की गई है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि शिव कुमार चौधरी ने यह समझाने की कोशिश किया कि घर के निर्माण के लिए उनके द्वारा खर्च किये गये थे और प्रदर्श डी/01 और

प्रदर्श डी/02 के द्वारा सहकारी समिति को भुगतान करके पिता द्वारा संपत्ति का आबंटन प्राप्त किया गया था, लेकिन उन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे ऐसे आबंटन का विवरण प्रकट नहीं करते हैं और प्रतिवादियों को सहकारी समिति के उसी इलाके में अलग से प्लॉट भी आबंटित किए गए थे। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक भाई, अर्थात् देवेंद्र कुमार को डीडब्ल्यू-03 के रूप में परीक्षित किया गया था और प्रतिवादी के दावे का समर्थन करने के लिए देवेंद्र कुमार द्वारा एक और वाद प्रस्तुत किया गया था, किन्तु वह वाद खारिज कर दिया गया था।

11. वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि वादी एक अभ्यास करने वाले डॉक्टर थे और अपनी स्वयं की आय से उन्होंने अपने पक्ष में प्लॉट आबंटित करवाया, जब उन्होंने अभ्यास शुरू किया और बाद में सेवा में चले गए। इसलिए, वादी डॉ. रामकुमार चौधरी के पक्ष में भूमि आबंटित होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि पैसा पिता डॉ. धनीराम चौधरी ने दिया था। विद्वान अधिवक्ता मुद्दासानी वेंकट नरसैया (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण बनाम मुद्दासानी सरोजना (2016) 12 एस०सी०सी० 288 के मामले पर भरोसा करते हुए तर्क किया है कि एक साधारण कब्जे का दावा करने वाले मामले में जब स्वामित्व विवाद में नहीं है, तो किसी और घोषणात्मक डिक्री की आवश्यकता नहीं होगी और विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय और डिक्री अच्छी तरह से योग्य है, क्योंकि डॉ. रामकुमार चौधरी द्वारा बाद में वसीयत का निष्पादन भी विधिवत साबित हो गया था। वे प्रस्तुत करते हैं कि मामले के तथ्यों में, अपील बिना योग्यता के है और खारिज किए जाने योग्य है।

12. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. दोनों पक्षों द्वारा भारी मात्रा में दस्तावेज दाखिल किए गए हैं। पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्वी दावे को समझने के लिए, पक्षों द्वारा दिए गए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर वंशावली वृक्ष बनाना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार है:-

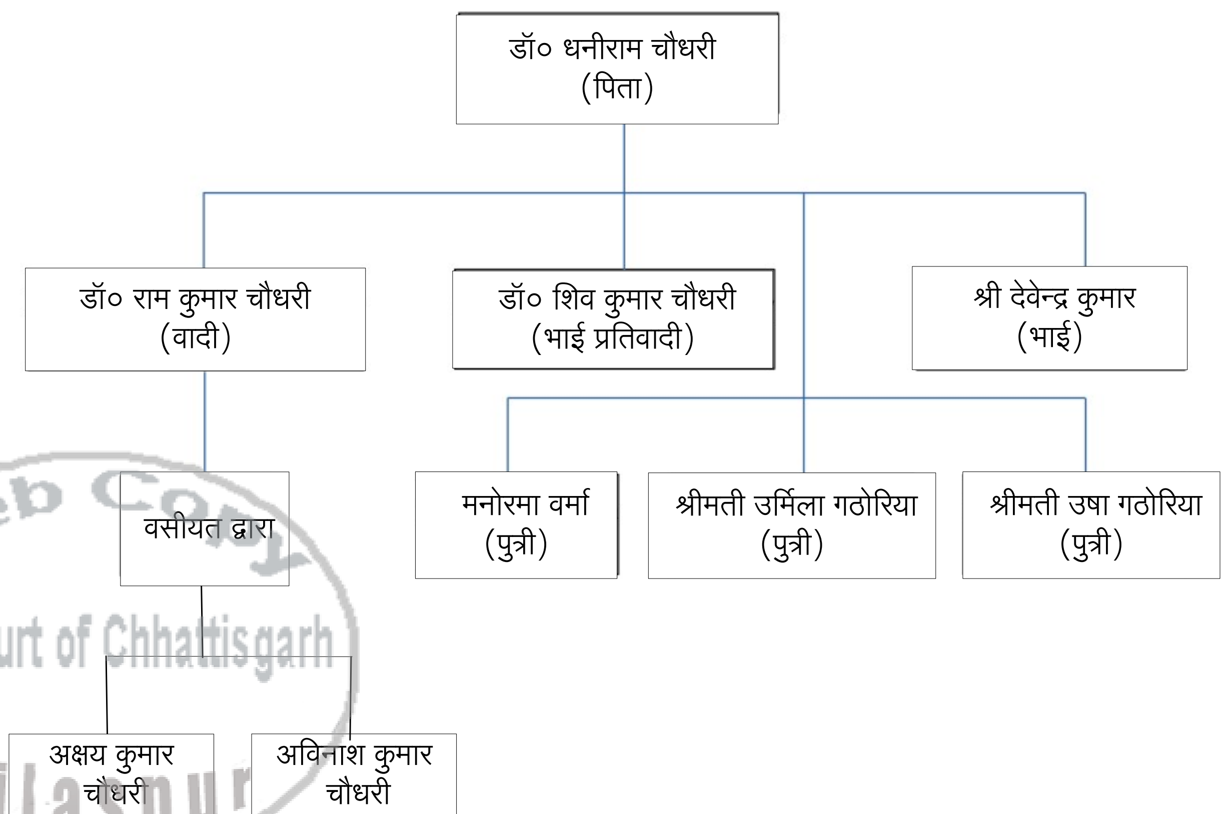

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वाद वर्ष 2005 में डॉ. रामकुमार चौधरी द्वारा अपने भाई शिव कुमार चौधरी के विरुद्ध बेदखली के लिए प्रस्तुत किया गया था। वाद इस साधारण आधार पर आधारित था कि चूंकि वादी वाद संपत्ति का स्वामी था, इसलिए प्रतिवादी, जो भाई था, की बेदखली के लिए प्रार्थना की गई है। वाद के विचारण के दौरान, मूल वादी डॉ. रामकुमार चौधरी और प्रतिवादी दोनों की मृत्यु हो गई। वादी की ओर से, उनकी पत्नी श्रीमती विमला चौधरी को परीक्षित किया गया। साक्ष्य कथन के अनुसार, डॉ. रामकुमार चौधरी हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य थे और ऐसा होने के कारण, उन्होंने एक प्लॉट खरीदा, जिस पर उनके पति ने अधिरचना का निर्माण किया। उसने कथन किया है कि प्लॉट वर्ष 1964 में खरीदा गया था और तत्पश्चात् मकान का निर्माण किया गया था। उन्होंने आगे

कथन किया है कि संपत्ति नगर पालिका के रिकॉर्ड में उनके पति रामकुमार चौधरी के नाम पर दर्ज थी। इस साक्षी के अनुसार, उसका विवाह वर्ष 1958 में डॉ. रामकुमार चौधरी से हुआ था और विवाह के समय, पति अभ्यास करने वाले डॉक्टर थे और उनका एक जोरदार अभ्यास था, जिससे वे प्रति माह 3000 - 4000 रुपये कमाते थे। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी शिव कुमार चौधरी की जन्मतिथि 25 मई 1938 है और डीडब्ल्यू-01 के बयान के अनुसार है। यह भी विवादित नहीं है कि रामकुमार चौधरी बड़े भाई थे। इसलिए पीडब्ल्यू-01 के बयान से दर्शित होता है कि वाद भूमि की खरीदी के समय शिव कुमार चौधरी की उम्र की तुलना में स्वर्गीय रामकुमार चौधरी की उम्र लगभग 25-26 वर्ष रही होगी।

15. रामकुमार चौधरी वर्ष 1967 में सेवा में आए और पीडब्ल्यू-01 के अनुसार, देवर प्रतिवादी शिव कुमार चौधरी बेरोजगार थे, इसलिए उन्हें मकान में रहने की अनुमति दी गई थी। दस्तावेज़ प्रदर्श पी/49 सहकारी समिति द्वारा वाद मकान के संबंध में रामकुमार चौधरी के पक्ष में एक बिक्री विलेख है। संबंधित नगरपालिका रसीदें और कुछ सहकारी समिति की रसीदें, जो विशिष्ट रूप से चिह्नित हैं, दिखाती हैं कि यह डॉ. रामकुमार चौधरी के नाम पर थी। प्लॉट पर मकान के निर्माण के लिए नगरपालिका की अनुमति वर्ष 1964, जो प्रदर्श पी/49 का हिस्सा है, डॉ. रामकुमार चौधरी के नाम पर जारी की गई थी। दिनांक 27/02/1967 का एक और आवेदन प्रदर्श पी/35 जिसमें डॉ. रामकुमार चौधरी ने शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किया था। प्रमाण पत्र प्रदश पी/37 द्वारा जारी किया गया था, जिसके साथ समर्थन में उनकी बहन श्रीमती उर्मिला गठोरिया का एक घोषणा पत्र प्रदर्श पी/38 था, जो दर्शाता है कि रामकुमार चौधरी को एकमात्र और आत्यंतिक स्वामी बताते हुए शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

16. प्रतिवादी ने रायपुर सहकारी गृह निर्माण समिति की 23/07/1961 और 26/09/1961 की दो रसीदें यह कहने के लिए प्रस्तुत किया है कि रकम डॉ. धनीराम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

चौधरी द्वारा चेक से दिया गया था। इनकी प्रामाणिकता साबित करने के लिए रायपुर सहकारी गृह निर्माण समिति से किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है। इसके अलावा, उक्त प्रदर्श डी/1 और डी/2 के अवलोकन से दर्शित होता है कि चेक द्वारा निश्चित राशि का भुगतान किया गया था। प्रतिवादी, शिव कुमार चौधरी के अनुसार, यह उनके पिता डॉ. धनीराम चौधरी द्वारा भुगतान किया गया था। उक्त कथन और प्रदर्श डी/1 और प्रदर्श डी/2 को छोड़कर, इस तथ्य की सम्पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य साक्ष्य नहीं है कि वह राशि डॉ. धनीराम चौधरी द्वारा भुगतान की गई थी, वह भी उसी भू–खण्ड के संबंध में जो विवाद का विषय है। वादी साक्षियों सें उन दस्तावेजों के साथ का सामना नहीं कराया गया है। अन्य संभावना जो बड़ी लगती है कि प्रतिवादी के पास उक्त रसीदें थी जो पिता द्वारा दिए गए चेक के एवज में सहकारी समिति द्वारा जारी किए जाने का दावा करती हैं, तो वास्तव में किसी भी पुष्टिकारक साक्ष्य द्वारा यह साबित किया जा सकता था कि खाता पिता के नाम पर था ।

17. प्रतिवादियों द्वारा प्रदर्श डी/3 से प्रदर्श डी/12 तक प्रस्तुत नगरपालिका की मांग और रसीदों में दोनों नाम शामिल हैं, कुछ रसीदों में पिता डी.आर. चौधरी का नाम है और कुछ रसीदों में डॉ. रामकुमार चौधरी का नाम है। डी.आर. चौधरी के नाम की रसीदों में, जैसे कि प्रदर्श डी/5 में यह स्पष्ट नहीं है कि इसका भुगतान किसने किया था, क्योंकि नगरपालिका रसीद प्रदर्श डी/6 जो डी.आर. चौधरी के नाम पर है, में भुगतान डॉ. डी.आर. चौधरी द्वारा 02/03/1978 को किया जाना बताया गया है। शिव कुमार चौधरी के कथन से पता चलता है कि डी.आर. चौधरी की मृत्यु 09/01/1972 को हुई थी, इसलिए दस्तावेज़ प्रदर्श डी/6 नगरपालिका रसीदें जो उनकी मृत्यु के बाद सामने आयी, की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है और इसके बजाय प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत रसीदें नगरपालिका रसीदों में डॉ. रामकुमार चौधरी का नाम दर्शित करती हैं, जिसमें निविदाकर्ता को स्वयं डॉ. रामकुमार चौधरी के रूप में दिखाया गया है। इसलिए रामकुमार चौधरी द्वारा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भुगतान किए गए कर के समर्थन के साथ जारी किए गए कर रसीदों का संभाव्यता मूल्य अधिक होगा।

18. प्रतिवादी/अपीलकर्ता का दूसरा तर्क यह था कि उसने खर्च वहन किया था और खाते के रख-रखाव के सामान्य अनुक्रम में आय संधारित की गई थी । डायरी और रजिस्टर आर्टिकल डी/1 और डी/2 का अवलोकन, जो घर के निर्माण के लिए व्यय का लेखा-जोखा होना बताया गया है, स्पष्ट साक्ष्य से नहीं जोड़ता है कि वास्तव में किन मदों पर खर्च किया गया था। डीडब्ल्यू-01 के कथन के अनुसार, रसीदें और वाउचर जो प्रविष्टियों के आधार थे, नष्ट कर दिए गए थे। जब आर्टिकल डी/1 की प्रविष्टि को विशेष रूप से प्रतिवादी क्रमांक 01 के सामने रखा गया, तो विशिष्ट लोप के माध्यम से यह स्वीकार किया गया कि पिता का नाम यह दिखाने के लिए कि उन्होंने ऐसी राशि का भुगतान किया है, दर्ज नहीं किया गया था। वाद संपत्ति के संबंध में बिक्री विलेख प्रदर्श पी/49 जब सहकारी समिति द्वारा निष्पादित किया गया था, प्रतिवादी शिव कुमार चौधरी सहकारी समिति में कार्यरत् थे। डीडब्ल्यू-01 के प्रतिपरीक्षण के पैरा 77 में यह स्वीकार किया गया है कि सोसायटी रजिस्टर में वाद संपत्ति डॉ. रामकुमार चौधरी के नाम पर दर्ज थी। वह आगे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि जब रामकुमार चौधरी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था तो उन्होंने कभी भी इस पर आपत्ति नहीं उठाई। प्रतिपरीक्षण के पैरा 83 आगे इस तथ्य की सम्पुष्टि करता है कि जब प्रदर्श पी/37 जो इस तथ्य को पुष्ट करता है कि संपत्ति रामकुमार चौधरी के स्वामित्व में थी, सहकारी समिति द्वारा जारी की गई थी, तो कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी और सहकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी करने की तारीख दिनांक 27/02/1967 को पिता डॉ. धनीराम चौधरी भी जीवित थे और पिता द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की गई थी।

19. जब प्रतिद्वंद्वी बयानों और दस्तावेजों के मूल्यांकन की जब तुलना की जाती है, तो साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव देता हो कि मकान के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आबंटन के लिए रकम वास्तव में डॉ. धनीराम चौधरी द्वारा दिया गया था। जब प्रतिवादी इस तथ्य के बारे में आश्वस्त था और यह कहने के लिए कि यह ऐसे आवंटन की रसीद का कथित दस्तावेज़ है, एक वाउचर के साथ आया, तो इसे अन्य ठोस पुष्टिकारक साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जा सकता था। रसीद कोई प्लॉट नंबर दर्शित नहीं करता है। वादी ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है कि केवल उन रसीदों द्वारा वाद संपत्ति का आबंटन किया गया था, इसलिए पंजीकृत बिक्री विलेख, जिसकी शुद्धता का उपधारित मूल्य है, के विरुद्ध संभावनाओं पर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। साक्ष्य के साथ बचाव को स्थापित करने के लिए अभिलेख पर अधिक प्रामाणिक विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिए थे। प्रतिवादियों का निवेदन बिक्री विलेख और रसीदों के विभिन्न दस्तावेजों पर वापस ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बढ़त प्राप्त करता है, ताकि वादी के पक्ष में यह माना जा सके कि प्रश्नगत संपत्ति स्वर्गीय डॉ. रामकुमार चौधरी द्वारा स्वअर्जित आय से क्रय की गई थी। पत्नी का साक्ष्य कथन कि डॉ. रामकुमार चौधरी के पास नौकरी मिलने तक एक जोरदार निजी अभ्यास था, खंडन नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. चूंकि विषय वाद संपत्ति का स्वामित्व प्रश्न में था और विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि करके प्रतिवादी के पक्ष में निर्धारित किया गया है, वसीयत के अस्तित्व पर प्रश्नगत करते हुए कोई निवेदन नहीं किया गया है इसलिए, विवाद के अभाव में वसीयत पर किसी अलग निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन के बाद, हमारा दृष्टिकोण है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, अपील बिना योग्यता के है और इसे खारिज किया जाता है।

21. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/–
(गौतम भादुड़ी)
न्यायाधीश

सही/–
(सचिन सिंह राजपूत)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur